न्यायालय–ठाकुर अमन कुमार जि0अ0स0न्या0, तृतीय, पूर्णियॉ	जलालगढ़ थाना काण्ड संख्या–152 / 2025 धारा 126(2),115(2),118(1),76,303(2),352,351(2),3(5),109 बीएनएस बरजो खातुन एवं अन्य बनाम बिहार राज्य

न्यायालय – तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ
जमानत आवेदन संख्या –196 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 196 / 2026

09.03.2026– दिनांक–29.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में काराधीन अभियुक्तगण **बरजो खातुन, मो0 मोकीम एवं मो0 सतीम** की ओर से जलालगढ़ थाना काण्ड संख्या–152 / 2025, अंर्तगत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 76, 303(2), 352, 351(2), 3(5) एवं 109 बीएनएस में श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन दिनांक–19.02.2026 को दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को सेवित की गयी है तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार स्थानान्तरित होकर दिनांक–20.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

2. आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता मो0 एस0 ए0 शम्स एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अजय सिंह एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजकिशोर चौरसिया को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण की ओर से कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवे. दकगण के विरूद्ध का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण के विरूद्ध अभियोग झूठा एवं बनावटी है। आवेदकगण के विरूद्ध सामान्य अभियोग लगाया गया है। यह वाद उभय पक्ष के बीच जलालगढ़ 153 / 25 पलटा वाद है। चोरी गयी सामान / आभूषण का कोई मुल्य नहीं है और न ही सूचक द्वारा प्राथमिकी कोई मूल्य अंकित किया गया है अतः धारा 76 बीएनएस सही नहीं पाया गया है। बीएनएस की धारा 109 जोड़ी गयी धारा है वाद में प्राथमिकी 22.07.2025 को दर्ज की गयी है जब कि उसी वाद में बीएनएस की धारा 109 दिनांक 29.01.2026 के जोड़ी गयी है। कथित वाद की घटना दिनांक 18.07.2025 की है और चार दिन की देरी से दिनांक 22.07.2025 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जिसका कोई कारण नहीं बताया गया है। आवे. दकगण न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदकगण को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाय।

4. सूचिका ऐना खातुन के लिखित आवेदन के आलोक में अभियोजनवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.07.2025 को समय करीब 6 बजे ाम को सूचिका का पति मो0 सकीम अपना खेत में धान का बीच वाला खेत में गया तो उधर से मो0 सतीम एवं बरजो खातुन आकर उसके पति को गाली गलौज एवं धक्का–मुक्की करते हुए कहने लगा कि तुम मेरे खेत से केला का थान मेरे खेत से तुम अपना खेत में क्यों लाये। इसपर सूचिका का पति बोला कि हम नहीं लाये है ऐसा गाली क्यों दे रहे हो। इतने में मो0 मोकीम मो0 तहसीन, मोकिमा खातुन, नसीमा खातुन रक्को खातुन लाठी डंडा रड कुल्हाड़ी तलवार लेकर गाली–गलौज करते हुए आया और सभी मिलकर मेरे पति को मारपीट कर काफी जख्मी कर गिर दिया। हल्ला सुनकर मैं तथा मेरा लड़का बारीक लड़की रजिया खातुन बचाने दौड़कर गयी तो सभी मिलकर हम लोगों का मारपीट किया। बारीक को मोकिम ने कुल्हाड़ी से माथे पर मारा जिससे कुल्हाड़ी गाल के पास लगा और वह जख्मी हो गया, सूचिका के पति को तलवार से तहसीन मारकर माथा जख्मी कर दिया। मारपीट के क्रम में रजिया को मोकीमा ने दबिया से मारकर जख्मी कर दिया और मो0 सतीम सूचिका के बदन का कपड़ा फाड़कर अध

न्यायालय – तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ
जमानत आवेदन संख्या –196 / 2026
सी.आई.एस. संख्या – 196 / 2026

र्निग्न कर दिया और उसके कान का सोने का बाली गले से चांदी का हार ले लिया। सूचिका के पति का इलाज के लिए ले गयी वहॉ से रेफर पूर्णियॉ कर दिया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध किया गया।

6. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्तगण पर अभियोग है कि उन्होंने सूचिका, उसके पति व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लाठी, डंडा, दबिया और तलवार से मारपीट कियाा एवं मारपीट के क्रम में सूचिका के गले से आभूषण छीन लिया और सूचिका का कपड़ा लत्ता चीरफाड़ दिया। वाद की सुनवाई के अद्यतन काण्ड दैनिकी की मांग की गयी जो प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता हैकि कण्डिका 19 में जख्मी मो0 सकीम जख्मी का जख्म गंभीर प्रकृति का पाया गया है। कण्डिका 44 में आवेदक अभियुक्तगण का कोई आपराधि ाक इतिहास नहीं है। वर्तमान वाद जलालगढ़ 153 / 25 का पलटा वाद है। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक 29.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

7. वाद की उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा अभियुक्तगण द्वारा कारा में बिताये गये अवधि को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक अभियुक्तगण **बरजो खातुन, मो0 मोकीम एवं मो0 सतीम** को मो0–10,000 / – रूपये के तथा इतने ही राशि के दो समान प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक–09.03.2026

(लेखापित)
ह0 / –
(ठाकुर अमन कुमार)
तृतीय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश,
पूर्णियॉ।

–